



SU/FIN/F-3/2025-26/FG-2025-26/15

Dated: 07/04/2026

**CIRCULAR - 08/2026**

**CIRCULAR: ENSURING REFUND OF HOSTEL CAUTION MONEY IN A TIME BOUND MANNER**

This is to inform all former boarders of Sikkim University Hostels who have completed their courses or vacated the hostels but were **unable to apply for the refund of their Hostel Caution Money** during the previous cycles. The University is providing an **opportunity** to eligible boarders to submit refund applications to ensure all pending dues are cleared in a time bound manner.

**1. Eligibility**

- Former hostel boarders who have officially vacated their rooms.

**2. Required Documents**

Applicants must submit the following documents (Self-attested) to the Office of the Provost as early as possible.

- **Duly fill the Refund Application Form** (available on the University website under the section "Student's Corner").
- **Hostel Fee Payment Receipt** showing proof of payment of Caution Money Deposit.
- **Copy of Bank Passbook/Cancelled Cheque** (to ensure accurate DBT transfer through NEFT to the beneficiary).

For any further clarifications, students may contact Mr. Kesang Tamang, LDC, Provost Office, Ph# 9832005668 E-mail Id: [provost@cus.ac.in](mailto:provost@cus.ac.in).

  
(Dr. Trilochan Behera)  
Finance Officer  
वित्त अधिकारी  
Finance Officer  
सिक्किम विश्वविद्यालय  
Sikkim University

**Copy to:**

1. PS to VC for kind information of the Vice-Chancellor.
2. PS to the Registrar
3. PS to the Finance Officer
4. All Hostel Wardens (for displaying in Notice Boards for wide publication)
5. Dean Students' Welfare
6. Provost Office
7. System Management Team for uploading on the University Website.
8. President (SUSA)



SU/FIN/F-3/2025-26/FG-2025-26/15

दिनांक : 07/04/2026

**परिपत्र - 08/2026**

**परिपत्र : समयबद्ध तरीके से छात्रावासों की सतर्कता धनराशि की वापसी सुनिश्चित करना**

यह सिक्किम विश्वविद्यालय के उन सभी पूर्व आवासियों, जिन्होंने अपने पाठ्यक्रम पूरे कर लिए हैं या छात्रावास खाली कर दिए हैं, लेकिन पिछले चक्रों के दौरान अपनी छात्रावास सतर्कता राशि को वापस पाने के लिए आवेदन करने में असमर्थ थे, के सूचनार्थ है। विश्वविद्यालय योग्य आवासियों को समयबद्ध तरीके से सभी लंबित बकाया राशि जारी करने के लिए धनवापसी आवेदन जमा करने का अवसर प्रदान कर रहा है।

**1. पात्रता**

- छात्रावासों के पूर्व आवासी, जिन्होंने आधिकारिक तौर पर अपने कमरे खाली कर दिए हैं।

**2. आवश्यक दस्तावेज**

आवेदकों को निम्नलिखित दस्तावेज (स्व-सत्यापित) प्रोवोस्ट के कार्यालय में यथाशीघ्र जमा करने होंगे।

- धन वापसी आवेदन प्रपत्र को विधिवत भरे (विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर "स्टूडेंट्स कॉर्नर" अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध है)।
- सतर्कता राशि जमा के भुगतान का प्रमाण दिखाने वाली हॉस्टल शुल्क भुगतान रसीद।
- बैंक पासबुक की प्रति / रद्द किया गया चेक (लाभार्थी को एनईएफटी के माध्यम से सटीक डीबीटी हस्तांतरण सुनिश्चित करने के लिए)।

किसी भी अन्य स्पष्टीकरण के लिए, छात्र श्री केसांग तमांग, एलडीसी, प्रोवोस्ट कार्यालय, फोन # 9832005668 ई-मेल आईडी: [provost@cus.ac.in](mailto:provost@cus.ac.in). से संपर्क करें।

(डॉ. त्रिलोचन बेहेरा)

वित्त अधिकारी

वित्त अधिकारी

Finance Officer

सिक्किम विश्वविद्यालय

Sikkim University

**प्रतिलिपि :**

1. कुलपति के सूचनार्थ कुलपति के निजी सचिव
2. कुलसचिव के निजी सचिव
3. वित्त अधिकारी के निजी सचिव
4. सभी छात्रावास आवासी (व्यापक प्रकाशन के लिए सूचना पट में प्रदर्शित करने हेतु)
5. छात्र कल्याण डीन
6. प्रोवोस्ट कार्यालय
7. सिस्टम मैनेजमेंट टीम – विश्वविद्यालय वेबसाइट में अपलोड करने हेतु
8. अध्यक्ष (सूसा)